कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : देवीलाल | विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | पत्रावली संख्या : 209/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.02.2018 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी देवीलाल द्वारा दस्तावेज हक त्याग दिनांक 10.12.2007 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी नम्बर 1449 की खातेदार लेहरीबाई ने मुझ प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 579 से खाते में इन्द्राज हो गया, लेकिन उसके पश्चात् रोटेशन से बनने वाली जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के बजाय पुर्व खातेदार लेहरीबाई का नाम अंकन कर दिया गया है जबकि खातेदार लेहरीबाई द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग से अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग कर दिया हैं। पत्रावली एवं दस्तावेज के अवलोकन से खातेदार लेहरीबाई द्वारा प्रार्थी देवीलाल के पक्ष में दिनांक 10.12.2007 को रजिस्टर्ड हक त्याग कर अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में त्याग दिया हैं। जिसका नामान्तरकरण भी प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 579 से दर्ज हो चुका हैं, लेकिन रोटेशन से बनने वाली जमाबन्दी में आराजी नम्बर 1449 पर देवीलाल की बजाय पुर्व खातेदार लेहरीबाई का नाम अंकित कर दिया गया हैं जिसे पुनः संशोधन कर प्रार्थी का नाम अंकन किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–:<u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा ओरडी ए पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 1449 किता 1 रकबा 16 बिस्वा भूमि में खातेदार लेहरीबाई के बजाय देवीलाल पिता तुलछा गाडरी संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान में सुनाया गया। (जितेन्द्र ओझा) सहायक कलक्टर (SDO)मावली	